



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102021-230395
CG-DL-E-14102021-230395

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3875]
No. 3875]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 12, 2021/ आश्विन 20, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 12, 2021/ ASVINA 20, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4222(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के मुज़फ्फरनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के कि.मी. 90.220 से कि.मी.131.000 (मेरठ-मुजफ्फरनगर सैक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, मुजफ्फरनगर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के मुज़फ्फरनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के कि.मी. 90.220 से कि.मी.131.000 (मेरठ-मुज़फ्फरनगर सैक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश जिले का नाम: मुज़फ्फरनगर					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: खतौली					
गांव का नाम: खतौली					
1	308	निजी	कृषि	110.0000000(वर्ग मीटर)	0.0110000
2	309	निजी	कृषि	663.0000000(वर्ग मीटर)	0.0663000
3	310	निजी	कृषि	511.0000000(वर्ग मीटर)	0.0511000
गांव का नाम: सरधन					
1	38	निजी	कृषि/अकृषक	4,389.0000000(वर्ग मीटर)	0.4389000
गांव का नाम: सठेड़ी					
1	758	निजी	कृषि	5,173.0000000(वर्ग मीटर)	0.5173000
2	760	निजी	कृषि	257.0000000(वर्ग मीटर)	0.0257000
3	768	निजी	कृषि	2,953.0000000(वर्ग मीटर)	0.2953000
4	769	निजी	कृषि	2,710.0000000(वर्ग मीटर)	0.2710000
तालुक का नाम: मुज़फ्फरनगर					
गांव का नाम: मुस्तफाबाद					
1	124/1	निजी	कृषि	147.0000000(वर्ग मीटर)	0.0147000
2	265	निजी	कृषि	30.0000000(वर्ग मीटर)	0.0030000
गांव का नाम: रामपुर					
1	1049	निजी	कृषि	193.0000000(वर्ग मीटर)	0.0193000
2	1052	निजी	कृषि	740.0000000(वर्ग मीटर)	0.0740000
3	1064	निजी	कृषि	1,041.0000000(वर्ग मीटर)	0.1041000

गांव का नाम: सिसौना					
1	580	निजी	अकृषिक	240.0000000(वर्ग मीटर)	0.0240000
कुल				19,157.0000	1.9157

[फा. सं. NHAI/BOT/11013/7/2003/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th October, 2021

S.O. 4222(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-58 in the stretch of land from Km. 90.220 to Km. 131.000 (Meerut-Muzaffarnagar Section) in the district of MUZAFFARNAGAR in the state of UTTAR PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, The Special Land Acquisition Officer, Muzaffarnagar in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from km. 90.220 to Km. 131.000 (Meerut-Muzaffarnagar Section) of National Highway No. 58 in the state of UTTAR PRADESH.

State: UTTAR PRADESH District: MUZAFFARNAGAR					
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Khatauli					
Village: Khatauli					
1	308	Private	Agriculture	110.0000000(Square Meter)	0.0110000
2	309	Private	Agriculture	663.0000000(Square Meter)	0.0663000
3	310	Private	Agriculture	511.0000000(Square Meter)	0.0511000
Village: Sardhan					
1	38	Private	Agriculture/Non-Agriculture	4,389.0000000(Square Meter)	0.4389000
Village: Satheri					
1	758	Private	Agriculture	5,173.0000000(Square Meter)	0.5173000
2	760	Private	Agriculture	257.0000000(Square Meter)	0.0257000

3	768	Private	Agriculture	2,953.0000000(Square Meter)	0.2953000
4	769	Private	Agriculture	2,710.0000000(Square Meter)	0.2710000
Taluk: Muzaffarnagar					
Village: Mustafabad					
1	124/1	Private	Agriculture	147.0000000(Square Meter)	0.0147000
2	265	Private	Agriculture	30.0000000(Square Meter)	0.0030000
Village: Rampur					
1	1049	Private	Agriculture	193.0000000(Square Meter)	0.0193000
2	1052	Private	Agriculture	740.0000000(Square Meter)	0.0740000
3	1064	Private	Agriculture	1,041.0000000(Square Meter)	0.1041000
Village: Sisona					
1	580	Private	Non Agriculture	240.0000000(Square Meter)	0.0240000
Total				19,157.0000	1.9157

[F. No. NHAI/BOT/11013/7/2003/3A]

RAJESH GUPTA, Director